दिनांक 26.08.2020
प्रेस विज्ञप्ति 34/20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा कोरोना वायरस से रोकथाम हेतु निर्गत एडवाइजरी के दृष्टिगत की गयी कार्यवाही का विवरण

श्री एच0सी0 अवस्थी, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ0प्र0 को शासन द्वारा प्रदेश भर में कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु निर्गत एडवाइजरी के दृष्टिगत कार्यवाही किये जाने के क्रम में निर्देश दिये गये है।

उक्त क्रम में अब तक की कार्यवाही का विवरण निम्नवत है:–

- चालान किये गये वाहनों की संख्या – 3550046
- सीज किये गये वाहनों की संख्या – 69634
- वसूले गये शमन शुल्क की धनराशि **रू0** – **69,28,37,989**
- धारा 188 भादवि के तहत पंजीकृत अभियोगों की संख्या – 203967
- ई0सी0 एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों की संख्या – 825

एसटीएफ : 02 वर्षो से फरार जनपद एटा से रू0 25,000/– पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी गिरफ्तार।

दिनांक 26–08–2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को 02 वर्षो से निरंतर फरार चले रहे जनपद एटा से रू0 25,000/– का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी बन्टू पुत्र मक्खन को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्त का विवरणः

बन्टू पुत्र मक्खन निवासी ग्राम लोया बादशहपुर थाना बागवाला, एटा।

(हाल पता– बालीघाट जनपद बागेष्वर (उत्तराखण्ड)

बरामदगीः

रूपया 650/– नकद।

गिरफ्तारी का स्थान व समय

दिनांक 26.08.2020, स्थानः– आसपुर चौराहा के पास, थाना क्षेत्र, मलावन, एटा समय प्रातः 06:10

विगत कुछ दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0 के निर्देशन में प्रभारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ एवं पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ मेरठ द्वारा एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में एसटीएफ फील्ड यूनिट आगरा द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान दिनांक 25.08.2020 की रात्रि में मुखबिर खास से ज्ञात हुआ कि बन्टू पुत्र मक्खन निवासी ग्राम लोया बादशाहपुर थाना बागवाला, एटा जिस पर जनपद एटा से रू0 25 हजार का पुरस्कार घोषित है तथा जो वर्तमान में अपनी पहचान छिपाकर उत्तराखण्ड में कही रह रहा है, किसी काम से थाना मलावन, एटा क्षेत्रान्तर्गत आसपुर चौराहे के पास आयेगा। यदि शीघ्रता की जाये तो उसे पकड़ा जा

सकता है। मुखबिर से प्राप्त इस इस सूचना पर निरीक्षक अशोक कुमार के नेतृत्व में आरक्षी संतोष कुमार, आरक्षी प्रशांत चौहान तथा आरक्षी बृजराज की एक टीम गठित कर उसे तत्काल ही मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान के लिये रवाना किया गया। टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना को सम्बन्धित थाना मलावन, एटा से सॉझा किया गया तथा उन्हें साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान थाना मलावन, एटा क्षेत्रार्न्तगत आसपुर चौराहा सं एस0टी0एफ0 टीम तथा स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्त को आवश्यक बल प्रयोग कर पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति ने पूछे जाने पर अपना नाम बन्टू पुत्र मक्खन निवासी ग्राम लोया बादशाहपुर थाना बागवाला, एटा (हाल पता—बालीघाट जनपद बागेश्वर (उत्तराखण्ड) बताया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ करने पर अभियुक्त बन्टू पुत्र मक्खन निवासी उपरोक्त ने बताया कि वर्ष 2018 में थाना मलावन, एटा पर उसके विरूद्ध अपहरण एवं बलात्कार का मुकदमा लिखा गया था, जिसमें वॉछित हो जाने के फलस्वरूप वह वर्ष 2018 में ही एटा से भागकर बालीघाट जिला बागेश्वर(उत्तराखण्ड) चला गया था। बालीघाट में वह अपनी पहचान छिपाकर मजदूरी का कार्य करता था। आज वह अपने गॉव की जमीन बेचने के उद्‌देश्य से यहॉ पर आया था।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त को थाना मलावन, जनपद एटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 166/2018 धारा 363/366/506/376 भादवि व 4 पोक्सो एक्ट में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना मलावन जनपद एटा द्वारा की जा रही है।

एसटीएफः बीमा मे बोनस देने, जीवन भर हेल्थ इंश्योरेंश दिलाने व कम्पनियों मे इनवेस्ट करने पर कम समय मे रूपया दोगुना करने का झांसा देकर रिटायर्ड अधिकारियों से करोड़ों की ठगी करने वाले गैंग के सरगना सहित 06 अभियुक्त लखनऊ से गिरफ्तार।

दिनांक 26—08—2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को बीमा मे बोनस देने, जीवन भर हेल्थ इंश्योरेंश दिलाने व कम्पनियों मे इनवेस्ट करने पर कम समय मे रूपया दोगुना करने का झांसा देकर रिटायर्ड अधिकारियों से करोड़ों की ठगी करने वाले गैंग के सरगना सहित 06 अभियुक्तों को जनपद लखनऊ से गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :—

1. अभिनव सक्सेना उर्फ टीटू पुत्र अयोध्या प्रसाद सक्सेना, निवासी ग्राम भीटी, थाना चौबेपुर, जनपद कानपुर नगर। हाल पता— ए 1233/03 इंन्दिरा नगर, थाना गाजीपुर, लखनऊ।
2. वेदप्रकाश द्विवेदी उर्फ पिंटू पुत्र जयप्रकाश द्विवेदी, निवासी सकरपुर सिंघिया, थाना बांसी, जनपद सिद्वार्थ नगर। हाल पता 114 देवरिया गोमतीनगर विस्तार, थाना चिनहट, जनपद लखनऊ।
3. मो0 अरमान पुत्र मो0 सलीम निवासी बन्नी सुलेमाबाद, थाना फतेहपुर, जनपद बाराबंकी।
4. नेहा सक्सेना पत्नी रितेश सिंह निवासी जी— 50 लिबर्टी कालोनी, सर्वोदय नगर इन्दिरा नगर, थाना गाजीपुर, जनपद लखनऊ।
5. प्रिया सक्सेना पत्नी अभिनव सक्सेना निवासी ग्राम भीटी, थाना चौबेपुर, जनपद कानपुर नगर। हाल पता— ए 1233/03 इंन्दिरा नगर, थाना गाजीपुर, लखनऊ।
6. मिनाक्षी भारती पत्नी संजीव भारती निवासी फ्लैट न0 602, गंगासागर अपार्टमेंट, नरही, थाना हजरतगंज, जनपद लखनऊ।

बरामदगी—

1. 11 अदद मोबाइल फोन।
2. 01 अदद एटीएम कार्ड।
3. 03 अदद चेक बुक।
4. 03 अदद पास बुक ।
5. 04 अदद आधार कार्ड।
6. 03 अदद पैन कार्ड।
7. 01 अदद एम आइ एस रजिस्टर।
8. 70 अदद चेक (हस्तरक्षरित एव सादे)।
9. 01 अदद स्टाम पेपर साद हस्ताक्षरित
10. 37 पेज कस्टमर डेटा।
11. रूपये 1710/— नकद।
12. 01 अदद चार पहिया वाहन एम जी हेक्टर नम्बर यूपी 32 केएक्स 2000।

गिरफ्तारी का स्थान व समयः—

दिनांक :— 26.08.2020, **स्थानः**— मीनाबाजार, इंदिरा नगर, लखनऊ **समयः**— 07.10 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से बीमा मे बोनस देने, जीवन भर हेल्थ इंश्योरेंश दिलाने व कम्पनियों मे इनवेस्ट करने पर कम समय मे रूपया दोगुना करने का लालच देकर जनता से करोड़ों रूपये की ठगी करने वाले गिरोह की सूचनाएं प्राप्त हो रहीं थीं। इस सम्बन्ध में श्री अभिताभ यश, पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0 के निर्देशन में श्री विशाल विक्रम सिंह, प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण मे एस0टी0एफ0 मुख्यालय स्थित साइबर टीम को

अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम मे साइबर टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि रिटायर्ड अपर निदेशक उ0प्र0 चिकित्सा स्वाथ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं डाक्टर श्री सीबी चौरासिया निवासी इंदिरा नगर, लखनऊ से लगभग 40 लाख व रिटायर्ड पुलिस उपाधीक्षक श्री रंजीत सिंह बोरा निवासी एन0डी0 तिवारी नगर, थाना विकास नगर, लखनऊ से रू 4,14,474/ की ठगी बीमा मे बोनस देने जीवन भर हेल्थ इंश्योरेंश दिलाने व कम्पनियों मे इनवेस्ट करने पर कम समय मे दोगुना करने का लालच देकर ठगों द्वारा फर्जी कम्पनियों **एलायंज ग्रीन सिटी, आर0आई0एल0 डेवलपर्स, एम0डी0आई0 ई कामर्स, मैक्स लाइफ म्युचुअल फाउंडेशन, गोल्डेन आरकिड, वेट फोलिओ सर्विस** आदि के नाम पर खोले गये बैंक खातों मे जमा कराकर की गयी है। जिसके परिप्रेक्ष्य मे श्री सीबी चौरासिया द्वारा थाना गाजीपुर, जनपद लखनऊ मे मु0अ0स0 183/20 व श्री रंजीत सिंह बोरा द्वारा थाना विकास नगर, जनपद लखनऊ मे 87/2019 पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य मे सूचना को विकसित करते हुए मुखबिर खास द्वारा मिली सूचना के आधार पर दिनांक 26.08.2020 को इन्दिरा नगर, जनपद लखनऊ से उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उपरोक्त बरामदगी की गयी।

पूछ—ताछ मे उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त अभिनव सक्सेना ने बताया कि हम लोगों का एक संगठित गिरोह है। हमारे गिरोह का सदस्य वेद प्रकाश, जो फर्जी नाम पते पर कम्पनी रजिस्टर्ड कराता है एवं कम्पनियों के नाम पर विभिन्न बैंकों मे खाता खुलवाता है। कम्पनियों के नाम पर खोले गये बैंक खातों के ए0टी0एम0 व चेक बुक हस्ताक्षरित कराकर वेद मुझे उपलब्ध करा देता है। जिसके लिए वेद ठगी से खातों मे आये हुए रूपयों का 25 प्रतिशत कमीन लेता है। नेहा सक्सेना जो मेरी बहन है व पी0एन0बी0 मेट लाइफ मे कार्यरत है, मुझे इंश्योरेंश से सम्बन्धित कस्टमर का डेटा उपलब्ध कराती है। इस डेटा पर मेरी पत्नी प्रिया, मिनाक्षी के साथ मिलकर दिल्ली, मुम्बई आफिस की इंश्योरेंश कर्मचारी बनकर राशी, श्रद्वा, अशी मलिक मोनिका आदि नाम से नाम बदल—बदल कर काल करती व कराती है। हम लोगों द्वारा ज्यादातर रिटायर्ड अधिकारियों को टारगेट किया जाता है। कस्टमर को विश्वास दिलाने के लिए इश्योरेंश कर्मचारियों के साथ मिलकर प्रिया व मिनाक्षी द्वारा कम्पनी के नम्बर से कस्टमर को काल एसएमएस व व्हटसएप कराया जाता है। जब कस्टमर को विश्वास हो जाता है तो मैं व मिनाक्षी कस्टमर से जाकर मिलते है। यदि कस्टमर कैश मे पेमेंट नही करता तो उससे पी0एन0बी0, मैक्स लाइफ, आर0एल0आई0 आदि नाम से चेक ले लेते है। और बाद मे मैक्सलाइफ के आगे म्युचुअल फाउंडेशन, पी0एन0बी0 के आगे सर्विसेज आदि लिख कर फर्जी कम्पनियो के बैंक खातों मे भुना लेते है। वेद को 25 प्रतिशत कमीशन देकर बचे रूपये को हम लोग आपस मे बराबर—बराबर बांट लेते हैं। इसके अतिरिक्त कस्टमर को विश्वास दिलाने के लिए मिनाक्षी और प्रिया मिलकर कूटरचित बांड व रसीदें तैयार कर लेती हैं, जिससे कस्टमर का रिनिवल मिलता रहता है। कई वर्ष तक रिनिवल जमा करने

पर जब कस्टमर को बतायी गयी योजना के तहत लाभ/बोनस नही मिलता है तो वह पुलिस या इंश्योरेंश कम्पनी के आफिस जाने की बात करता है। तब हम लोगों द्वारा ग्राहकों को फोन करके खुद को आई0आर0डी0ए0 (Insurance Regulatory and Development Authority of India) का अधिकारी बताकर अपने पास शिकायत दर्ज करा ली जाती है और एडवोकेट से सिविल सूट दायर करने, इसके बाद रूपया वापस दिलाने व वापस मिल रहे रूपये का जी0एस0टी0 आदि के नाम पर भी कस्टमर से 2–3 वर्ष तक ठगी की जाती है। इस काम मे मेरी मदद मेरे बहनोई रितेश सिंह करते थे परन्तु पिछले महीने ही पुलिस ने उनको थाना विकास नगर, जनपद लखनऊ मे पंजीकृत मु0अ0स0 87/2019 धारा 420 भा0द0वि0 मे गिरफ्तार कर लिया था, जो कि लखनऊ जेल मे निरूद्व है। हमारे व रितेश के काल सेंटर मे लगभग 30 टैलीकालर काम करते थे परन्तु रितेश के जेल जाने के बाद से हमने अपना कालसेंटर बन्द कर दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक इस गैंग द्वारा विगत 5 वर्ष मे सैकड़ों लोगों से करोड़ों की ठगी की जा चुकी है। इस गैंग के सदस्य पूर्व मे विभिन्न इंश्योरेंश कम्पनियों मे भी कार्य कर चुके है।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तों को मु0अ0सं0 183/20 धारा 419/420/406/467/ 468/471/120बी भा0द0वि0 व 66 सूचना प्रोद्योगिकी अधि0 थाना गाजीपुर, जनपद लखनऊ में दाखिल कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

जनपद खीरी/थाना कोतवाली सदर

- **लूट की घटना का अनावरण, 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 07 हजार 325 रू0 नकद**
- **01 इटीएम मशीन(टिकट बनाने वाली)**
- **04 रोडवेज टिकट की गड्डी**
- **01 पेपर रोल इटीएम मशीन**
- **घटना में प्रयुक्त स्कूटी सहित 02 स्कूटी आदि बरामद**

दिनांक 25.08.2020 की रात्रि थाना कोतवाली सदर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान देवकली रोड पर कृष्णा टाकीज क्रासिंग तिराहे पर घेराबंदी कर 04 अभियुक्तों 1.वासुदेव, 2.हिमांशु, 3.निखिल, 4.अमन को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 07 हजार 325 रू0 नकद, 01 इटीएम मशीन(टिकट बनाने वाली), 04 रोडवेज टिकट की गड्डी, 01 पेपर रोल इटीएम मशीन, घटना में प्रयुक्त स्कूटी सहित 02 स्कूटी आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 24.08.2020 की रात्रि गुरूनानक नहर पुलिया के पास रोडवेज के संविदा परिचालक के साथ लूट की घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली सदर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1. वासुदेव निवासी मेला मैदान थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी।
2. हिमांशु निवासी गोकुलपुरी थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी।
3. निखिल निवासी मेला मैदान थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी।
4. अमन निवासी फारेस्ट कालोनी थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी।

<u>बरामदगी</u>

1. लूट के 07 हजार 325 रू0 नकद
2. 01 इटीएम मशीन(टिकट बनाने वाली)
3. 04 रोडवेज टिकट की गड्डी
4. 01 पेपर रोल इटीम मशीन
5. गाडी की चाभी व बैग
6. घटना में प्रयुक्त स्कूटी सहित 02 स्कूटी ।

जनपद मेरठ/थाना रोहटा

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 05 हजार 400 रू0 नकद**
- **लूट की सोने की 01 जोडी बाली**
- **लूट के सोने के 01 जोड़ी कुण्डल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 25.08.2020 की रात्रि थाना रोहटा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान बाडम रोड पर चेकिंग के दौरान बदमाश की घेराबंदी की गयी तो उसके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में अभियुक्त रवि घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 05 हजार 400 रू0 नकद, लूट की सोने की 01 जोडी बाली, लूट के सोने के 01 जोडी कुण्डल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों में चोरी, लूट, अपहरण, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं। पूछतांछ पर अभियुक्त द्वारा लूट की कई घटनाओं को कारित करना स्वीकार किया।

इस सम्बन्ध में थाना रोहटा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. रवि निवासी ग्राम रासना थाना सरूरपुर जनपद मेरठ।

बरामदगी

1. लूट के 05 हजार 400 रू0 नकद
2. लूट की सोने की 01 जोडी बाली
3. लूट के सोने के 01 जोडी कुण्डल
4. 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस ।

जनपद बागपत/थाना छपरौली

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध पिस्टल**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 26.08.2020 को थाना छपरौली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान हलालपुर से रठोडा मार्ग पर मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। बदमाशों द्वारा की गयी फायरिंग में निरीक्षक व आरक्षी मनोज के बुलेट प्रूफ जाकेट में गाली लगी एवं आरक्षी दीपक खारी घायल हो गये। पुलिस कार्यवाही में सुनील राठी गैंग का शार्प शूटर व 50 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी बादल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल, 01 अवैध तमंचा मय, जीवित/खोखा कारतूस व 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना छपरौली क्षेत्रान्तर्गत देशपाल खोखर हत्याकांड में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर 50 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. बादल निवासी काशीराम कालोनी कस्वा व थाना बडौत मूल निवासी ग्राम मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी

1. 01 अवैध पिस्टल
2. 01 अवैध तमंचा मय, जीवित/खोखा कारतूस
3. 01 मोटर साइकिल

जनपद गाजियाबाद/थाना लिंक रोड

- **15 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद**

दिनांक 25.08.2020 की रात्रि थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान महाराजपुर के पास घेराबंदी कर 15 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी नरेश उर्फ दीपक को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध दिल्ली, गाजियाबाद के विभिन्न थानों में चोरी, लूट, गैंगस्टर एक्ट, आबकारी एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत हैं एवं अभियुक्त थाना लिंक रोड पर पंजीकृत मु0अ0सं0 623/2018 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 15 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना लिंक रोड पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. नरेश उर्फ दीपक निवासी सीएन 424 निक विवेकानन्द स्कूल आनन्द विहार दिल्ली व ई–28 शाहबाद डेयरी थाना शाहबाद नोर्थ वेस्ट दिल्ली।

बरामदगी

1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस।

जनपद मथुरा/थाना बरसाना

- **लूट की घटना का अनावरण, 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट का 46 हजार 200 रू0 नकद**
- **चोरी की मोटर साइकिल**
- **लूट की घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 25.08.2020 की सांय थाना बरसाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान बझेरा रोड़ से घेराबंदी कर 02 अभियुक्तों 1.बलराम, 2.संजय को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट का 46 हजार 200 रू0 नकद, चोरी की मोटर साइकिल व लूट की घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 19.08.2020 को लूट की घटना के सम्बन्ध में थाना बरसाना पर मु0अ0सं0 283/2020 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। बरामद नकदी उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बरसाना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. बलराम निवासी बहरावली थाना छाता जनपद मथुरा।
2. संजय निवासी पैगाम थाना शेरगढ जनपद मथुरा।

बरामदगी

1. लूट का 46 हजार 200 रू0 नकद
2. चोरी की मोटर साइकिल
3. लूट की घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल ।

जनपद अमेठी/थाना जायस

- **02 वाहन चोर गिरफ्तार**
- **चोरी की 06 मोटर साइकिलें**
- **चोरी के 03 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 32 बोर मय कारतूस बरामद**

दिनांक 26.08.2020 को थाना जायस पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान त्रिपुला तिराहा ग्राम बहादुरपुर के पास घेराबंदी कर 02 वाहन चोर 1.कर्मराज, 2.मातादीन को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर चोरी की 06 मोटर साइकिलें, चोरी के 03 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 32 बोर मय कारतूस बरामद हुए।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि जनपद सुल्तानपुर, रायबरेली, अमेठी आदि जनपदों से वाहनों की चोरी कर, उनकी नम्बर प्लेट बदलकर, ग्राहक मिलने पर वाहनों को बेच देते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा वाहन चोरी की कई घटनाओं को कारित करना स्वीकार किया।

इस सम्बन्ध में थाना जायस पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. कर्मराज निवासी मौलवी कला मजरे बहादुरपुर थाना जायस जनपद अमेठी।
2. मातादनी निवासी मौलवी कला मजरे बहादुरपुर थाना जायस जनपद अमेठी।

बरामदगी

1. चोरी की 06 मोटर साइकिलें
2. चोरी के 03 मोबाइल फोन
3. 01 अवैध तमंचा 32 बोर मय कारतूस।

जनपद मथुरा/थाना कोसीकलां

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 11 लाख रू0 कीमत की 140 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **01 अशोक लीलैण्ड वाहन बरामद**

दिनांक 26.08.2020 को थाना कोसीकलां पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान हाईवे चौकी कोटवन बैरियर से 02 अभियुक्त 1.सुभाष, 2.संजय को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 11 लाख रू0 कीमत की 140 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, 01 अशोक लीलैण्ड वाहन बरामद हुआ।

पूछतॉछ पर अभियुक्तों द्वारा बरामद अवैध अंग्रेजी शराब गैर प्रान्त से लाना स्वीकार किया।

इस सम्बन्ध में थाना कोसीकला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1. सुभाष निवासी जागसी थाना गुहाना जनपद सोनीपत हरियाणा।
2. संजय निवासी मिरान थाना तोसाम जनपद भिवानी हरियाणा।

<u>बरामदगी</u>

1. लगभग 11 लाख रू0 कीमत की 140 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब
2. 01 अशोक लीलैण्ड वाहन

<u>जनपद बस्ती/थाना पुरानी बस्ती</u>

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **विभिन्न कम्पनियों की 3399 बोरी अवैध सीमेन्ट**
- **सीमेन्ट भरने के उपकरण, 01 इलेक्ट्रानिक काटा व 01 ट्रैक्टर आदि बरामद**

दिनांक 26.08.2020 को थाना पुरानी बस्ती पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कोड़रा पाण्डेय तिराहे के पास से 05 अभियुक्तों 1—रामभवन 2—लालजी 3—राजू शाहनी 4—प्रकाश 5—पप्पू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर विभिन्न कम्पनियों की 3399 बोरी अवैध सीमेन्ट, सीमेन्ट भरने के उपकरण, 01 इलेक्ट्रानिक काटा व 01 ट्रैक्टर आदि बरामद हुये।

पूछतांछ पर गिरफतार अभियुक्तों ने अवैध तरीके से सीमेंट बनाना स्वीकार किया।

इस संबंध में थाना पुरानी बस्ती पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—रामभवन नि0 अहीरौली थाना चिलुआताल गोरखपुर।
2—लालजी नि0 अहीरौली थाना चिलुआताल गोरखपुर।
3—राजू शाहनी नि0 अहीरौली थाना चिलुआताल गोरखपुर।
4—प्रकाश नि0 अहीरौली थाना चिलुआताल गोरखपुर।

5—पप्पू नि0 अहीरौली थाना चिलुआताल गोरखपुर।

<u>बरामदगी</u>

1—विभिन्न कम्पनियों की 3399 बोरी अवैध सीमेन्ट
2—सीमेन्ट भरने के उपकरण, 01 इलेक्ट्रानिक काटा।
3—01 ट्रैक्टर आदि।

———